

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 02/2017
दायर दिनांक : 17.05.2017
आदेश दिनांक : 22.08.2019

1. श्री प्रभाषचन्द्र पिता कन्हैयालाल जी सनाढ्य उम्र 76 वर्ष निवासी नई आबादी आसोटिया कांकरोली तहसील राजसमन्द
2. श्री प्रहलाद कुमार पिता कन्हैयालाल जी सनाढ्य उम्र 63 वर्ष निवासी स्टेशन रोड जे०के० सर्कल कांकरोली तहसील राजसमन्द
3. श्री महेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल जी सनाढ्य उम्र 61 वर्ष निवासी कालिन्दी विहार स्टेशन रोड कांकरोली तहसील राजसमन्द
4. श्रीमती अन्नपूर्णा पुत्री कन्हैयालाल जी सनाढ्य उम्र 56 वर्ष निवासी कांकरोली तहसील राजसमन्द
5. श्री अरविन्द पिता देवेन्द्र कुमार सनाढ्य उम्र 47 वर्ष निवासी स्टेशन रोड जे०के० सर्कल कांकरोली तहसील राजसमन्द
6. श्री भरत पिता देवेन्द्र कुमार सनाढ्य उम्र 45 वर्ष निवासी स्टेशन रोड जे०के० सर्कल कांकरोली तहसील राजसमन्द
7. श्रीमती गोटू पत्नी स्व. देवेन्द्र कुमार सनाढ्य उम्र 71 वर्ष निवासी स्टेशन रोड जे०के० सर्कल कांकरोली तहसील राजसमन्द

-प्रार्थीगण

बनाम

1. सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, एवं अपर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
2. श्रीमान परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन ईकाई आर०सी०व्यास कॉलोनी भीलवाडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार राजसमन्द

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 3जी (1)(2) व (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956

उपस्थित

1. श्री महेन्द्र सनाढ्य, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरिश तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03



प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2017 को अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में पारित एवार्ड राजस्व ग्राम आसोटिया में स्थित आराजी नम्बर 756 की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में चुनौती दी गई है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा नियमानुसार तत्समय राजस्व रेकार्ड में दर्ज कृषि भूमि होने से प्रचलित डीएलसी. दर से मुआवजा तय किया गया है। प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से मुआवजा चाहता है जो

स्वीकार योग्य नहीं है। अधिसूचना दिनांक 28.12.12 के प्रकाशन के समय आपत्ति पेश की गयी थी भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 105 की चतुर्थ अनुसूची अनुसार फोरलेन परियोजना पर भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया हेतु इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उक्त क्लेम मयाद बाहर है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं एवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की दर से अदा किया गया है। जबकि इसके आस-पास में वाणिज्यिक भूमि है। इसलिए मुआवजा वाणिज्यिक भूमि की दर से मिलना चाहिए। प्रार्थी भूमि अरूपान्तरित वाणिज्यिक भूमि है। प्रार्थी द्वारा इस पर कृषि नहीं की जा रही है बल्कि उक्त भूमि पर भूखण्ड बनाकर इसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी को कभी भी सूचना पत्र जारी नहीं किया है। भूमि की डी0एल0सी दर फीट में है फिर भी मुआवजा मीटर की दर से अदा किया गया है। मौके पर प्लोट बने हुए है। और इसकी प्रमाणिता पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौता पत्र एवं राजस्व अभिलेख में हुए विभाजन प्रमाणित होता है। और विभाजन की नकल भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी है। इसलिए प्रार्थी को उक्त भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से प्रार्थना पत्र में वर्णित दर अनुसार दिलाया जावे। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावे।

विपक्षी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को डीएलसी दर पर ही भूमि का मुआवजा अदा किया गया है तथा प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के समय किसम कृषि भूमि दर्ज थी, उसी अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि होने से कृषि भूमि का मुआवजा बीघा व मीटर अनुसार अदा किया गया है। कृषि भूमि पर व्यावसायिक प्लोट संभव नहीं है। तथा भूमि का रूपान्तरण प्रार्थी द्वारा नहीं कराया गया न ही प्रार्थी द्वारा सम्परिवर्तन आदेश प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है। जो जमाबंदी से प्रमाणित है। डी0एल0सी0 की दर अनुसार अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी को भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत संशोधित अवार्ड भी जारी हो चुका है। प्रार्थी का आवेदन आधारहीन है। अतः खारिज फरमायी जावे।


उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवार्ड पत्रावली से यह प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में अवार्ड उक्त भूमि का कृषि दर से खातेदार के नाम पर जारी किया गया है। प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि का वाणिज्यिक दर से मुआवजा प्राप्त करना चाहता है जबकि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवाया है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत हुए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा कृषि दर से तत्कालीन प्रचलित डी0एल0सी0 दर अनुसार जारी किया गया है। जो उचित है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार संशोधित अवार्ड जाहीर किया गया है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जहां तक भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि का प्रश्न है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारतसिंह के मामले में तथा नेशनल हाईवे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.01.2015 से भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा अदा करने के निर्देश है। इस संबंध में प्रार्थीगण विपक्षी के यहाँ पर नियमानुसार क्लेम आवेदन पेश करे जिस पर विपक्षी प्रार्थीगण के क्लेम आवेदन का नियमानुसार मुआवजा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।




::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार क्लेम एवं दस्तावेज पेश करने पर प्रार्थीगण के पक्ष में उनकी अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

